



उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

संख्या-69/2023/4042/77-6-2023-77-6003/67/2019

लखनऊ : दिनांक 29 दिसम्बर, 2023

संशोधन/शुद्धि-पत्र

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु योजनान्तर्गत पात्र 02 इकाईयों के लिए धनराशि रु0 4,60,57,000.00 की वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-66/2023/3224/77-6-23/77-6003/67/2019 दिनांक 27.12.2023 को निर्गत किया गया है। अतः उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में अंकित तालिका के क्रमांक-1 में अंकित इकाई मे0 पावरकॉन सीमेण्ट प्रा0लि0, चन्दौली के स्थान पर त्रुटिवश "मे0 पावरकॉन प्रा0लि0, चन्दौली" अंकित हो गया है।

2- अतः शासनादेश संख्या-66/2023/3224/77-6-23/77-6003/67/2019 दिनांक 27.12.2023 में अंकित मे0 पावरकॉन प्रा0लि0, चन्दौली को "मे0 पावरकॉन सीमेण्ट प्रा0लि0, चन्दौली" पढ़ा जाय।

3- शासनादेश संख्या-66/2023/3224/77-6-23/77-6003/67/2019 दिनांक 27.12.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगी।

मनोज कुमार मौर्य

संयुक्त सचिव।

संख्या-69/2023/4042/77-6-2023-77-6003/67/2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
- 3- अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वित्तीय निगम, कानपुर।
- 6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
- 9- नियोजन अनुभाग-1/4
- 10- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।